

फर्द अहकाम


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- धनराज

विपक्षी :- रामा

किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 227 / 17

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|--|---|
| | <p>दिनांक 10.02.2018</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी प्रार्थीगण के पड़ोसी खातेदार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भूमि की सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। विवाद समाप्ति हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किया जाने की प्रार्थना की है। अतः प्रकरण में पड़ोसी खातेदारों के मध्य भूमि की सीमा को लेकर विवाद है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी अपनी भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 2026, 2039, 2040, 2043, 2060 किता 11 रकबा 17 बीघा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के मध्य बंटवाडा होने से बंटवाडे मे प्राप्त प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के मध्य की सीमा का सीमांकन कर पत्थरगढी कराई जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (जितेन्द्र ओझा) उपखण्ड अधिकारी मावली</p> | |